



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233679
CG-DL-E-23022022-233679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

No. 144]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 147(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2010 को, जहां तक कि उनका संबंध अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 में लेखाकार पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा में लेखाकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (लेखाकार समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(क) "नियुक्ति अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में समनुदेशित है;

- (ख) “काडर” से लेखाकार का काडर अभिप्रेत है (प्रत्येक मंत्रालय इन नियमों के उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट पदों की कुल संख्या में समाविष्ट लेखाकार का अपना स्वयं का पृथक और स्वतंत्र काडर होगा;
- (ग) “सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) “आयोग” से कर्मचारी चयन आयोग या इन नियमों के अंतर्गत आने वाले कोई अन्य भर्ती करने वाले अभिकरण जिसको सरकार गठित करे, अभिप्रेत है;
- (ङ) “महालेखा नियंत्रक” से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का महालेखा नियंत्रक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किए गए अपर महालेखा नियंत्रक या संयुक्त महालेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक या सहायक महालेखा नियंत्रक भी है;
- (च) “मंत्रालय” से भारत सरकार का कोई मंत्रालय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत इन नियमों से उपाबंध में विनिर्दिष्ट मंत्रालय के कोई विभाग या कोई कार्यालय भी है।
- (छ) “अनुसूची” से इन नियमों में उपाबंध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ज) “सेवा” से केन्द्रीय सिविल लेखा सेवा (समूह ‘ग’) अभिप्रेत है;
- (झ) “संगठित लेखा सेवा” जिसके अंतर्गत सरकार के लेखा और संपरीक्षा विभाग, रक्षा लेखा, रेलवे लेखा, डाक-तार की लेखा सेवाएं और दूर संचार लेखा भी हैं।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर :-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि :-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **प्रोन्नति का विनियमन :-**
- (1) लेखाकार के काडरों में प्रोन्नति, इन नियमों के अधीन विहित रूप में महालेखा नियंत्रक द्वारा विनियमित की जाएगी।
- (2) (क) जहां प्रोन्नति ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता पर आधारित है, वहाँ प्रत्येक मंत्रालय प्रतिवर्ष, अनुसूची के स्तंभ (11) के अनुसार पोषक श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ सभी पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करेगा और प्रोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को उनकी ज्येष्ठता के क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा और उसे महालेखा नियंत्रक को भेजेगा।
- (ख) महालेखा नियंत्रक, खंड (क) में निर्दिष्ट चयन सूचियों से, अभ्यर्थियों की संयुक्त चयन सूची तैयार करेगा।
- (i) संयुक्त चयन सूची मंत्रालयों को चयन सूचियों से ज्येष्ठता के क्रम में, नामों का विलय करके तैयार की जाएगी;
- (ii) संयुक्त चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या महालेखा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई तारीख को मंत्रालयों में संबंधित काडरों में उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या पर आधारित होगी।
- (iii) संयुक्त चयन सूची से विभिन्न मंत्रालयों के अभ्यर्थियों की परस्पर ज्येष्ठता पोषक श्रेणी में उनके द्वारा की गई सेवावधि के आधार पर और सरकार द्वारा समय-समय पर ज्येष्ठता के अवधारण के लिए इस संबंध में अधिकथित साधारण सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (ग) महालेखा नियंत्रक संयुक्त चयन सूची से मंत्रालयों को अभ्यर्थियों का आबंटन करेगा।
- (3) (क) जहां प्रोन्नति, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित है, वहां प्रत्येक मंत्रालय महालेखा नियंत्रक के निदेश के अनुसार उसे विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों की एक सूची भेजेगा।
- (ख) महालेखा नियंत्रक, समय-समय पर विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करेगा और परीक्षा में उनकी योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा।

(ग) जब तक कि महालेखा नियंत्रक द्वारा अन्यथा आदेश न किया गया हो चयन सूची में अभ्यर्थियों की संख्या, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के अधीन उपलब्ध कुल रिक्तियों की संख्या तक निर्बंधित होगी।

(घ) महालेखा नियंत्रक, चयन सूची से अभ्यर्थियों का मंत्रालय को आबंटन करेगा।

6. स्थानांतरण :- (1) लेखाकार, भारत के किसी भाग में सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) महालेखा नियंत्रक का यदि यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी लेखाकार का उसी श्रेणी में एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरण कर सकेगा।

7. निरर्हता :- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार।	1147* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर-5 (29200-92300/- रुपए)।	अचयन।	अठारह और सत्ताईस वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण- आयु-सीमा अवधारित करने लिए लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी विधा में स्नातक उपाधि।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण 1:- परिवीक्षा की अवधि किसी भी दशा में विस्तारित की जा सकेगी यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपयुक्त समझे किंतु परिवीक्षा के विस्तार की कुल अवधि, सिवाय जहां पदधारी के विरुद्ध कोई विभागीय या विधिक कार्यवाही के आदेश के लंबित होने के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति को महालेखा नियंत्रक द्वारा संचालित विभागीय पुष्टिकारी परीक्षा विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार और तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना होगा। टिप्पण 3:- यदि वे उपरोक्त टिप्पण 2 में निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं तो उन्हें अवर श्रेणी लिपिक के निम्नतर पद को स्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा और यदि वे उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो वे सेवोन्मुक्त किए जाने के दायी होंगे, इसके अतिरिक्त तब तक वे उक्त श्रेणी में कोई वेतनवृद्धि प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे जब तक वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते और उनके उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनका वेतन पुनः नियत किया जाएगा मानों उनकी वेतनवृद्धि इस परंतुक के अधीन रोकी नहीं गई थी किंतु रोकी गई वेतनवृद्धियों की अवधि के लिए कोई बकाया वेतन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
(i) 70 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 25 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ; (iii) 5 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता	प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठित लेखा सेवाओं या राज्य सरकार की समान सेवाओं के समुचित श्रेणी के व्यक्तियों से और जो विचार किए जाने वाले वर्ष में 1 जनवरी को निम्नलिखित अनुभव और अर्हता धारण करते हों:- (क) अनुभव (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 या समतुल्य स्तर या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 या समतुल्य स्तर और उस स्तर में पांच वर्ष से कम की सेवा न हो; या (iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 या समतुल्य स्तर और उस स्तर में नौ वर्ष से कम की सेवा न हो; या (iv) मूल काडर में उपरोक्त (ii) और (iii) के वेतन मैट्रिक्स में स्तर या समतुल्य वेतन मैट्रिक्स में नौ वर्ष सम्मिलित सेवा की हो। (ख) शैक्षिक अर्हता: स्तंभ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित। (ग) ऊपरी आयु-सीमा 50 वर्ष (आपवादिक मामलों में काडर नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी के

परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रोन्नति:- (क) प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को पांच वर्ष से अन्यून नियमित सेवा करने वाले अवर श्रेणी लिपिकों में से स्तंभ 10 के मद (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रोन्नति की जाएगी। (ख) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक में से स्तंभ 10 के मद (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में प्रोन्नति की जाएगी, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार महालेखा नियंत्रक द्वारा संचालित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में अर्हित है। टिप्पण 1:- लेखाकार की श्रेणी में प्रोन्नत ऐसे व्यक्ति तब तक उस श्रेणी में कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक वे महालेखा नियंत्रक द्वारा संचालित विभागीय पुष्टिकारी परीक्षा विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार उत्तीर्ण नहीं कर लेते और उनके उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनका वेतन पुनः नियत किया जाएगा मानों उनकी वेतनवृद्धि इस परंतुक के अधीन रोकी नहीं गई थी किंतु रोकी गई वेतनवृद्धियों की अवधि के लिए बकाया वेतन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। टिप्पण 2:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--------------------------------------	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. लेखा नियंत्रक या उप महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष*; 2. उपलेखा नियंत्रक - सदस्य** तथा 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखा अधिकारी - सदस्य * उप महालेखा नियंत्रक तब अध्यक्ष हो सकेगा जब मंत्रालय में जहां विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक होती है वहां कोई लेखा नियंत्रक नहीं है। ** यदि उप लेखा नियंत्रक उपलब्ध नहीं है तो यथास्थिति उप लेखा नियंत्रक के बदले में उसके स्थान पर सहायक लेखा नियंत्रक या ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या वेतन और लेखाधिकारी हो सकेंगे।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एनजीइ-13002/1/2020-एनजीइ-सीजीए]

नरिंदर पाल सिंह, सहायक महालेखा नियंत्रक

उपाबंध

लेखाकार/ज्येष्ठ लेखाकार की स्वीकृत संख्या (लेखाकार और ज्येष्ठ लेखाकार के पद 20:80 के अनुपात में है।)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	लेखाकार/ज्येष्ठ लेखाकार के कुल पदों की संख्या	ज्येष्ठ लेखाकार के पदों की संख्या	लेखाकार के पदों की संख्या
1	कृषि	163	130	33
2	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	773	618	155
3	केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड	624	499	125
4	केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	61	49	12
5	रसायन और उर्वरक	26	21	5
6	नागर विमानन और पर्यटन	61	49	12
7	कोयला	10	8	2
8	वाणिज्य और कपड़ा	123	98	25
9	उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण	111	89	22
10	महालेखा नियंत्रक	68	54	14
11	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	6	5	1
12	भूमि विज्ञान	51	41	10
13	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	41	33	8
14	पर्यावरण और वन	45	36	9
15	विदेश कार्य	94	75	19
16	वित्त	174	139	35
17	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	11	9	2
18	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	218	174	44
19	गृह कार्य	1002	802	200
20	मानव संसाधन विकास	112	90	22
21	उद्योग	96	77	19
22	सूचना और प्रसारण	266	213	53
23	आई.एन.जी.ए.एफ.	7	6	1
24	श्रम और रोजगार	68	54	14
25	विधि न्याय और कंपनी कार्य	58	46	12
26	खान	257	206	51
27	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	7	6	1
28	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन	77	62	15
29	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	6	5	1
30	योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन	54	43	11
31	विद्युत (ऊर्जा)	38	30	8

32	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी०एफ०एम०एस०)	6	5	1
33	ग्रामीण विकास	25	20	5
34	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	101	81	20
35	पोत, सड़क परिवहन और राजमार्ग	108	86	22
36	कौशल विकास और उद्यमशीलता	20	16	4
37	सामाजिक न्याय और रोजगार	6	5	1
38	इस्पात	14	11	3
39	पूर्ति	159	127	32
40	शहरी विकास	444	355	89
41	जल संसाधन	145	116	29
	कुल	5736	4589	1147

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Expenditure)****(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)****NOTIFICATION**

New Delhi the, 21st February, 2022

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Accountant and Senior Accountant Group ‘C’ posts) Recruitment Rules, 2010 in so far as they relate to the post of Accountant at serial number 1 of the schedule thereto, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Accountant of the Central Civil Accounts Service, namely:-

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Accountant Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Appointing authority” shall have the same meaning as assigned to in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;
 - (b) “Cadre” means the cadre of Accountant (Each Ministry shall have its own separate and independent cadres of Accountant comprising total number of posts as specified in the Annexure to these rules);
 - (c) “Government” means the Government of India;
 - (d) “Commission” means the Staff Selection Commission or any other recruiting agency for the cadres covered by these rules, which the Government may constitute;
 - (e) “Controller General of Accounts” means the Controller General of Accounts in the Department of Expenditure, Ministry of Finance and includes Additional Controller General of Accounts or Joint Controller General of Accounts or Deputy Controller General of Accounts or Assistant Controller General of Accounts authorised by the Controller General of Accounts to exercise powers under these rules;
 - (f) “Ministry” means a Ministry in the Government of India and includes Departments of the Ministry or an Office specified in the Annexure to these rules;
 - (g) “Schedule” means Schedule annexed to these rules;
 - (h) “Service” means the Central Civil Accounts Service (Group ‘C’);

- (i) “Organised Accounts Services” include the Accounts Services in the Departments of Audit and Accounts, Defence Accounts, Railway Accounts, Post and Telegraph Accounts and Telecom Accounts in the Government.
3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.
5. **Regulation of promotion.** — (1) Promotion in the cadre of Accountant shall be regulated by the Controller General of Accounts as prescribed under these rules.
- (2) (a) Where promotion is based on seniority-cum-fitness, each Ministry shall hold a Departmental Promotion Committee meeting each year to consider all eligible candidates with minimum qualifying service in the feeder grade as per column (11) of Schedule and prepare a select list of the candidates found fit for promotion in order of their seniority and forward the same to the Controller General of Accounts.
- (b) From the select lists referred to in clause (a), the Controller General of Accounts shall prepare a combined select list of candidates as under:
- (i) the combined select list shall be prepared by merging names from the select lists of the Ministries in order of seniority;
- (ii) the number of candidates to be included in the combined select list shall depend on the total number of vacancies available in respective cadres in the Ministries on a date specified by the Controller General of Accounts;
- (iii) the inter-se-seniority of the candidates from different Ministries in the combined select list shall be determined on the basis of length of service rendered by them in the feeder grade and in terms of general principles for determining seniority in this regard as laid down by the Government from time to time.
- (c) The Controller General of Accounts shall allocate candidates to the Ministries from the combined select list.
- (3) (a) Where promotion is based on departmental competitive examination, each Ministry shall, in accordance with the directive of the Controller General of Accounts, forward to it a list of candidates considered fit to appear in the departmental competitive examination.
- (b) The Controller General of Accounts shall conduct the department competitive examination from time to time and prepare a select list of candidates in order of their merit in the examination.
- (c) The number of candidates in the select list shall be restricted to the total number of vacancies available under the departmental competitive examination quota otherwise ordered by the Controller General of Accounts.
- (d) The Controller General of Accounts shall allocate candidates from the select list to the Ministries.
6. **Transfer.**— (1) The Accountant shall be liable to serve in any part of India.
- (2) The Controller General of Accounts may, if satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing, transfer an Accountant from one Ministry to the other in the same grade.
7. **Disqualification.**— No person,—
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

8. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
9. **Savings.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or Non-Selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant	1147* (2021) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Level-5 (Rs. 29200-92300/-)	Non-selection	Between Eighteen and Twenty Seven years (Relaxable for Government Servants' up to Forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or Institute	No	Two years in case of direct recruits. Note 1:- the period of probation, may, if the appointing authority deems fit, be extended in any case, but the total period of extension of probation shall not, save where it is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the official, exceed one year. Note 2:- Direct recruits have to pass Departmental Confirmatory Examination conducted by the Controller General of Accounts as per terms and conditions specified and within a period of three years. Note 3:- In case they fail to pass the examination referred to in Note 2 above, they will be given the opportunity to accept lower post of Lower Division Clerk and if they decline the said offer, they shall be liable for discharge from service, shall not be entitled to draw any increment in the Grade until they qualify the said test and on their passing the said test, their pay shall be re-fixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(i) 70% by direct recruitment through Staff Selection Commission failing which by deputation; (ii) 25% by promotion on seniority basis; (iii) 5% by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination.	Deputation: From amongst persons of appropriate grade from other organised accounts services of Central Government and similar services of state government subject to terms and conditions laid down by the Central Government from time to time in this regard and possessing the following experience and qualification as on 1 st of January in the year of consideration: (a) Experience: (i) Level-5; or equivalent level in the pay matrix or (ii) Level-4 with not less than five years service in the level; or equivalent level in the pay matrix or (iii) Level-2 with not less than nine years service in the level; or

	equivalent in the pay matrix; or (iv) Combined service of nine years in the parent cadre in the level in the pay matrix or equivalent pay matrix (ii) and (iii) above. (b) Educational Qualification: As prescribed for direct recruits in Column (7). (c) Upper age limit: Fifty years (relaxable at the discretion of the cadre controlling authority in exceptional cases); Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2:- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. Note 3:- The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty years as on the closing date of receipt of applications. Promotion: (a) In the manner specified in item (ii) of column 10 shall be made from Lower Division Clerks belonging to the service with not less than five years of regular service as on 1st January of each year. (b) in the manner specified in item (iii) column (10) shall be made from Lower Division Clerks belonging to the service with three years of regular service in the grade and who qualify in the departmental competitive examination conducted by the Controller General of Accounts, as per procedure laid down under sub-rule (3) of rule 5. Note 1: 'Promotees to the grade of Accountant shall not draw any increment in the Grade until they qualify the Departmental Confirmatory Examination conducted by the Controller General of Accounts as per terms and conditions specified and on their passing the said test, their pay shall be re-fixed as if their increments had not been withheld under this proviso, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld'. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	---

If a Departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be considered in making recruitment
(12)	(13)
Composition of Group 'C' Departmental Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of: 1. Controller of Accounts or Deputy Controller General of Accounts - Chairman*; 2. Deputy Controller of Accounts - Member**; 3. Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer – Member. * Deputy Controller General of Accounts will be the Chairman, if there is no Controller of Accounts in the Ministry where Departmental Promotion or Confirmation Committee takes place. ** The Deputy Controller of Accounts may be substituted by the Assistant Controller of Accounts or Senior Accounts Officer or Pay and Accounts Officer, as the case may be, if the Deputy Controller of Accounts is not available	Not Applicable

[F.No. NGE-13002/1/2020-NGE-CGA]

NARINDER PAL SINGH, Asstt. Controller General of Accounts

ANNEXURE**Sanctioned Strength of Accountant/Sr. Accountant (the post of Accountant and Senior Accountant are in ratio of 20:80)**

Ser. No.	Ministry/Department	Total No. of posts of Acctt/ Sr. Accountant	No. of posts of Sr. Accountant	No. of posts of Accountant
1	Agriculture	163	130	33
2	Central Board of Direct Taxes	773	618	155
3	Central Board of Excise and Customs	624	499	125
4	Central Pension Accounting Office	61	49	12
5	Chemical & Fertilizers	26	21	5
6	Civil Aviation & Tourism	61	49	12
7	Coal	10	8	2
8	Commerce and Textile	123	98	25
9	Consumer Affairs, Food and Public Distribution	111	89	22
10	Controller General of Accounts	68	54	14
11	DoNER	6	5	1
12	Earth Sciences	51	41	10
13	Electronic and Information Technology	41	33	8
14	Environment and Forests	45	36	9
15	External Affairs	94	75	19
16	Finance	174	139	35
17	Food Processing Industries	11	9	2
18	Health and Family Welfare	218	174	44
19	Home Affairs	1002	802	200
20	Human Resource Development	112	90	22
21	Industry	96	77	19
22	Information and Broadcasting	266	213	53
23	INGAF	7	6	1
24	Labour and Employment	68	54	14
25	Law, Justice & Company Affairs	58	46	12
26	Mines	257	206	51
27	New & Renewable Energy	7	6	1
28	Personnel, Public Grievances and Pension	77	62	15
29	Petroleum & Natural Gas	6	5	1
30	Planning, Statistics and P.I.	54	43	11
31	Power	38	30	8
32	Public Financial Management System (PFMS)	6	5	1
33	Rural Development	25	20	5
34	Science & Technology	101	81	20
35	Shipping, Road Transport and Highways	108	86	22
36	Skill Development and Entrepreneurship	20	16	4
37	Social Justice & Employment	6	5	1
38	Steel	14	11	3
39	Supply	159	127	32
40	Urban Development	444	355	89
41	Water Resources	145	116	29
	Total	5736	4589	1147